

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक:संस्थापन-प्रथम/2024/3846-3896

दिनांक: 28-4-2024

—समस्त प्राचार्य,
संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय
—समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक,
शैक्षणिक विभाग/केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय

महोदय/महोदया,

ग्रीष्मावकाश के दौरान आपके महाविद्यालय/विभाग/केन्द्र में शिक्षकों को रोके जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि पत्र में उल्लेखित शिक्षकों के नाम के साथ उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का नाम/प्रकृति एवं संभावित कार्य दिवसों की संख्या सहित प्रस्ताव पूर्ण औचित्य (justification) के साथ भिजवाने का श्रम करें। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अति-आवश्यक कार्य हेतु ही सीमित संख्या में शिक्षकों को रोके जाने का प्रस्ताव दिनांक 2 मई, 2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त सूचना के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आपके महाविद्यालय/विभाग/केन्द्र के शिक्षकों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव माननीया कुलपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

भवदीय,

Raj Jain

(डॉ० राजकुमार जैन)

उपकुलसचिव संस्थापन-प्रथम

28/04/24